# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)

अपील प्रार्थना–पत्र संख्याः– 12 / 02 / 2023 दर्ज तिथिः– 27.04.2023

1. बसन्त कुमार पुत्र सूरजमल उम्र 56 साल जाति बलाई निवासी कोलाकाबास बाढ गुजरान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

.................

अपीलाण्ट

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत भूडियावास पंचायत समिति थानागाजी तह0 थानागाजी जिला–अलवर जरिये सरपंच।

..................रेस्पोडेण्ट

उपस्थित
अपीलाण्ट अधिवक्ताः–श्री कमलेश सैनी।
रेस्पोडेन्ट अधिवक्ताः– अनुपस्थित।

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 234 दिनांक 05.03.2016 ग्राम पंचायत भूडियावास

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–19.01.2024

1. आज यह अपील प्रार्थना पत्र विरूद्ध ग्राम पंचायत भूडियावास इंतकाल संख्या 234 दिनांक 05.03.2016 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत भूडियावास पंचायत समिति एवं तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 द्वारा दिनांक 05.03.2016 को फैसल नामान्तकरण संख्या 234 आराजी खसरा संख्या 05, 127, 101 कुल किता 03 वाके ग्राम कोलाकाबास पटवार हल्का भूडियावास तहसील का ग्राम पंचायत की कोरम में मृतक सोन्या उर्फ सोहनलाल की मृत्यु उपरान्त विरासत इंतकाल अपीलाण्ट को बिना सुने व बिना जानकारी को खोल दिया। जिसके कॉलम संख्या 09 लगायत 16 में सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार थानागजी के द्वारा इंतकाल फैसल कर दिया गया। उक्त विरासत इंतकाल में मृतक सोन्या उर्फ सोहनलाल के विधिक वारिसान क्रमशः बसन्तकुमार, पूरणमल, राजेश कुमार पिता सोनाराम, रोशनदेवी, प्रेम पुत्रियान सोनाराम समान भाग कौम बलाई सा. देह. खातेदार दर्ज हो गया। जबकि सोनाराम अपीलाण्ट के दादा है।

Manisha
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

अपीलाण्ट के पिता का नाम सूरजमल है। अपीलाण्ट को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट को उक्त गलत इन्द्राज के बारे में दिनांक 01.02.2023 को हुई जब अपीलाण्ट ने क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाई। अन्त में अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत भूडियावास पंचायत समिति/तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान दिनांक 05.03.2016 इंतकाल संख्या 234 के आराजी खसरा संख्या 05, 127, 101 कुल किता 03 वाके ग्राम कोलाकाबास तहसील थानागाजी के इन्तकाल में पिता सूरजमल के स्थान पर दादा सोन्या उर्फ सोहनलाल उर्फ सोनाराम दर्ज हो गया। उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर दादा सोन्या उर्फ सोहनलाल उर्फ सोनाराम के स्थान पर पिता सूरजमल किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. अपील प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर जबाव पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट बसन्तकुमार, पूरणमल, राजेश कुमार, रोशनदेवी, प्रेम के पिता का नाम सूरजमल है विरासत इन्तकाल दर्ज होने करने पर अपीलाण्ट के पिता के स्थान पर दादा सोन्या उर्फ सोहनलाल उर्फ सोनाराम लिखा गया, जो शुद्धीकरण योग्य है। अपीलाण्ट ग्राम कोलाकाबास हाल ग्राम पंचायत सुरजनपुर के निवासी है। पूर्व में इनकी ग्राम पंचायत भूडियावास थी। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया कि उक्त प्रकरण में सोहनलाल उर्फ सोन्या उर्फ सोनाराम अपीलाण्ट के दादा का नाम है। अपीलाण्ट के पिता का नाम सूरजमल ही है। नामान्तकरण संख्या 234 दर्ज करते समय अपीलाण्ट के पिता सूरजमल के स्थान पर सहवन से दादा सोन्या उर्फ सोहनलाल का अंकन हो गया। अपीलाण्ट के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र आदि में अपीलाण्ट के पिता का नाम सूरजमल है। उपर्युक्तानुसार नामान्तकरण संख्या 234 में अपीलाण्ट के पिता का नाम सोन्या उर्फ सोहनलाल उर्फ सोनाराम के स्थान पर सूरजमल शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

3. मैनें अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल इंतकाल संख्या 234 दिनांक 05.03.2016 में अपीलाण्ट का नाम बसन्त कुमार पुत्र सोनाराम दर्ज करते हुए इंतकाल फैसल कर दिया जबकि अपीलाण्ट का नाम अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र में बसन्तकुमार पुत्र सूरजमल दर्ज रिकॉर्ड है जो पटवारी रिपोर्ट व ग्राम पंचायत से जवाब से भी सिद्ध होता है। इंतकाल फैसल करते समय सहवन से अपीलाण्ट के पिता सूरजमल के स्थान पर अपीलाण्ट के दादा सोनाराम उर्फ सोन्या उर्फ सोहनलाल का नाम दर्ज कर दिया गया। जो कतई गलत है। अपीलाण्ट ने ग्राम पंचायत के फैसला दिनांक 05.03.2016 के विरूद्ध अपील प्रार्थना-पत्र दिनांक 01.02.2023 को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी होते ही बिना देरी के अन्दर मियाद अवधि पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट काबिल-ए-स्वीकार हैं। अतः

Manish
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

बसंत कुमार बनाम ग्राम पंचायत भूडियावास
2023 / 118
निर्णय दिनांक 19.01.2024

आदेश है कि

***अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत भूडियावास का निर्णय दिनांक 05.03.2016 बाबत इंतकाल संख्या 234 वाके ग्राम कोलाकाबास अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को निर्णय की प्रति इस आदेश के साथ प्रेषित की जाती है कि अपीलाण्ट के नाम के संबंध में विधिवत जाँच कर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार थानागाजी को जरिये अहकाम भिजवायी जावें।***

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 19.01.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(मनीषा कुमारी मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)